सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारेठ आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 63/2019

हरभजन सिंह पुत्र श्री दारा सिंह, जाति जटसिख, निवासी चक 3 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. महल सिंह पुत्र श्री सज्जन सिंह, जाति जटसिख निवासी चक 3 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर

– –

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

– :: उपस्थिति अभिभाषकगण :: –

1. श्री बलराम स्वामी –प्रार्थी
2. श्री संजय तोनगरिया –अप्रार्थी 1

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 23.12.2019

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी का रकबा चक 3 डी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 57/53, मु0नं0 44 व 45 में स्थित है, जमाबंदी की नकल शामिल है। मु0नं0 44 के साथ मु0नं0 28 लगता है तथा रेलवे लाईन मु0नं0 28 व 44 में कुतरी निकली हुई, नक्शा की प्रति शामिल है। यह कि प्रार्थी के रकबा मु0नं0 44 के उत्तरी पश्चिमी हिस्सा में जाने के लिए मु0नं0 28 के किला नं0 5 से 23 तक कुतरा रास्ता रेलवे लाईन के साथ–साथ स्वीकृतशुदा है, जो जरिये बैयनामा में झुग्गी देवी द्वारा रास्ता दिया हुआ है जो कभी भी बंद नहीं किया जा सकता है जिसका इन्द्राज बैयनामा में अंकित किया हुआ है। जिससे होकर प्रार्थी गत करीब 40 वर्षों से अपने रकबा मु0नं0 44 के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उत्तरी–पश्चिमी हिस्सा में आ–जा रहा है तथा मु0नं0 44 से अपने मुरब्बा नं0 45 में आता है। यह कि अब रेलवे विभाग ने मु0नं0 28 के किला नं0 5 व मु0नं0 29 के किला नं0 1 में कुतरी अण्डरब्रिज बनाया गया है, जिसके कारण मु0नं0 28 के किला नं0 5 का रास्ता बंद हो चुका है, अतः प्रार्थी को मु0नं0 28 के किला नं0 6 जिससे आगे रास्ता कुतरी मु0नं0 44 तक चल रहा है पर आने के लिए मु0नं0 28 के किला नं0 5, 4 की उत्तरी दिशा में करीब 300 फीट (जैसा मौके पर आवश्यक पाया जावे) एक–एक बिस्वा रास्ता पूर्व से पश्चिम स्वीकृत करवाना आवश्यक है इस रास्ता के साथ नहरी खाल सी0ए0डी0 द्वारा पक्का निर्मित है व चल रहा है आगे 7 मुरब्बों को पानी दे रहा है। खाल की सीमा छोड़कर रास्ता मंजूर किया जावे, जिससे प्रार्थी मु0नं0 28 के कुतरी रास्ता पर पहुंच कर अपने मु0नं0 44 के उत्तरी पश्चिमी हिस्सा में आ–जा सकेगा, इस प्रकार मौका की स्थिति के अनुसार मु0नं0 28 में चल रहे कुतरी रास्ता तक लिंक करने के लिए रास्ता स्वीकृत करवाना आवश्यक हो गया है। यह कि बिना इस प्रस्तावित रास्ता के अन्य कोई रास्ता मु0नं0 28 के कुतरी रास्ता से लिंक ना होने के कारण प्रार्थी के मु0नं0 44 व 45 में पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है, अतः उपरोक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। यह रास्ता लगभग 33 बीघा भूमि को आने जाने हेतु होगा जिसमें चार हिस्सेदारान उपयोग करेंगे जो रास्ता के बदले राशि अथवा भूमि अपने–अपने हिस्सानुसार देना होगा। यह कि प्रार्थना पत्र काबिल समाअत अदालतवाला है तथा उचित न्यायशुल्क पर पेश है। लिहाजा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश करके अर्ज है कि चक 3 डी बड़ी के खाता संख्या 15/15, मु0नं0 28 के किला नं0 5, 4 की उत्तरी दिशा में करीब 300 फीट लम्बाई में मु0नं0 28 में चल रहे कुतरी रास्ता को लिंक करने के लिए एक–एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ओर से आपसी सहमति के आधार पर दिनांक 16.08.2019 को राजीनामा पेश किया जिसके तथ्यानुसार उपरोक्त अनवानी मुकदमा में हम फरीकेन का आपस में राजीनामा हो गया है, प्रार्थी हरभजन सिंह द्वारा चक 3 डी बडी तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 15/15, मु0 न0 28 के किला न0 5,4 की उतरी दिशा में अप्रार्थी को भूमि में से अपने रकबा मु0 न0 44 के लिए जो रास्ता की मांग की है, उस पर अप्रार्थी महल सिंह सहमत है, अतः चक 3 डी बडी के खाता सं0 15/15, मु0 न0 28 के किला न0 5,4 की उतरी दिशा में गिरदावर हल्का की घटनाबही दिनांक 04.06.19 के अनुसार खाला के साथ रास्ता 300 फीट लम्बाई में एक–एक बिस्वा रास्ता पूर्व से पश्चिम स्वीकृत किया जावे, इसमें अप्रार्थी महल सिंह को कोई आपति नहीं है, उसने मुवावजा की राशि रास्ता के नीचे आने वाली भूमि की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

अपनी सहमति से हरभजन सिंह से तय कर प्राप्त कर ली हुई है। इस प्रकार मुआवना का कोई विवाद नहीं है। ना ही अप्रार्थी महल सिंह अथवा उसके परिवारवाले कभी कोई आपति करेगें। लिहाजा राजीनामा पेश है कि राजीनामा अनुसार मुकदमा का निर्णय किया जाकर उपरोक्त रास्ता अप्रार्थी की भूमि में से स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने का आदेश फरमाया जावें, खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेगें।

स्टेट की ओर से रिपोर्ट पेश हुई।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात, पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं स्टेट जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 3 डी बड़ी के खाता संख्या 15/15, मु0नं0 28 के किला नं0 5, 4 की उत्तरी दिशा में करीब 300 फीट लम्बाई में मु0नं0 28 में चल रहे कुतरी रास्ता को लिंक करने के लिए एक–एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर उक्तानुसार रास्ते का राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 23.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2020.01.01 15:15:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: